संस्तुतियाँ

संस्तुति 1

मामले में विद्यमान और नये दोनों प्रकार के स्टेशनों के लिए भूमि की आवश्यकता की नये सिरे से गहन पुनरीक्षा और लोकहित में फालतू भूमि के निपटान की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय एवं सेना मुख्यालयों को अपनी सुपुर्दगी वाली बिना बसावट वाली भूमि के वृहद क्षेत्रों के प्रबन्धन की समस्या पर ध्यान देना चाहिये और आधिक्य में भूमि के सतत् रूप से धारण पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

संस्तुति 2

कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी भूमि प्रबंधन हेतु सही भूमि अभिलेखों का अत्यंत महत्व होने के चलते, रक्षा मंत्रालय को सभी प्रकार की भूमि के अभिलेखों को अद्यतन एवं ठीक करने के लिये तुरन्त सेनाओं और डी.जी.डी.ई. की एक सम्मिलित टास्क फोर्स गठित करनी चाहिये। स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना चाहिये तथा अद्यतन करने तथा उसके बाद अभिलेखों के रख-रखाव के कार्य की मानीटरिंग मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर होनी चाहिये।

संस्तुति 3

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को यथासंभव रूप से शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिये । यह सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये कि प्रणाली में फीड किये गये आँकड़े अद्यतन एवम् बिल्कुल सही हैं। रक्षा सम्पदा संगठन में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये।

संस्तुति 4

रक्षा मंत्रालय को सारी भूमि को यथाशीघ्र अपने नाम में नामान्तरित कराने के लिये विशेष उपाय करने चाहिये । इस उद्देश्य हेतु एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिये ।

संस्तुति 5

रक्षा मंत्रालय को तुरन्त ही संसद की स्थायी समिति को दिये गये आश्वासन के अनुरूप नियमित अन्तराल पर भूमि लेखापरीक्षा करने की रूपरेखा तैयार करनी चाहिये । ऐसी भूमि लेखापरीक्षा की रिपोर्ट एवं सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा उनपर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना चाहिये ।

संस्तुति 6

रक्षा मंत्रालय को अधीग्रहीत भूमि की स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिये तथा फालतू और/अथवा उपयोग रहित भूमि के सरकार के सर्वोत्तम हित में निपटान हेतु एक रणनीति तैयार करनी चाहिए।

संस्तुति 7

रक्षा मंत्रालय को रक्षा भूमि के वाणिज्यिक दोहन के सम्बन्ध में नियम बनाने चाहिये और उन्हें पूरी गम्भीरता तथा सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिये। शापिंग कॉम्पलैक्सों के लाभार्थियों की सूचना मंत्रालय की वेबसाइट के सार्वजनिक क्षेत्र में रखी जानी चाहिये। किराये और लाइसैंस फीस के माध्यम से प्राप्त राजस्व को सरकारी खातों में जमा कराया जाना चाहिये । इन नियमों के उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

संस्तुति 8

रक्षा मंत्रालय को परित्यक्त भूमि के सम्बन्ध में नीतियाँ बनानी चाहिये और ऐसी भूमियों के बेहतर जनोपयोग के लिए नीतियों को सख्ती और समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिये । इस संबंध में हुई प्रगति को मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जाना चाहिए।

संस्तुति 9

मंत्रालय को भूमि उपयोग हेतु प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व/जवाबदेही सुस्पष्ट होनी चाहिए।

संस्तुति 10

रक्षा मंत्रालय को रक्षा भूमि के सालों से हो रहे गैरप्राधिकृत उपयोग को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के प्रति गंभीर रूख अपनाना चाहिए। इसे मामलों का समीप से मॉनीटरन करना चाहिये ताकि प्रशासनिक ढिलाई की वजह से रक्षा भूमि पर अतिक्रमण अथवा निजी निकायों द्वारा दुरूपयोग न किया जा सके । उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध् कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये।

संस्तुति 11

मंत्रालय को पट्टे के समय से नवीनीकरण के मानीटरन हेतु एक क्रियाविधि (मेकेनिज्म) बहाल करनी चाहिए। वसूली न किए गये देय किराये को तय किया जाना चाहिए तथा समयबद्ध तरीके से उसकी वसूली की जानी चाहिए। अनाधिकृत कब्जा, निर्माण, उपयोग, किराये का भुगतान न करना आदि के लिए बेदखल की कार्रवाही होनी चाहिए तथा इसे तार्किक एवं समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने चाहिए एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उनके द्वारा हुई गलती के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए।

संस्तुति 12

ओल्ड ग्रान्ट स्थलों को मुख्य (प्राइम) वास्तविक सम्पदा मानते हुए, ओल्ड ग्रान्ट बंगलों की बिक्री और/अथवा उनमें अनाधिकृत निर्माण के सभी मामलों की जाँच स्वतंत्र अन्वेषक एजेंसियों के माध्यम से करायी जानी चाहिये, चूंकि ऐसे सभी स्थल मूल्यवान भूमि सम्पदा होने के चलते, साँठ-गाँठ, भ्रष्टाचार और दुराचरण की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता ।

संस्तुति 13

जहाँ ऐसा करने का निर्णय लिया जा चुका हो, वहां ओ.जी.बी. के त्वरित पुनर्ग्रहण के लिए एक निश्चित समय-सारिणी तय की जानी चाहिए।

छावनी के अन्दर रक्षा भूमि के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए निजी पार्टियों को एन.ओ.सी. जारी करने की शक्तियाँ नीचले अधिकारियों को प्रदान नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह एक अत्यंत ही संवेदनशील मामला है। प्रदत्त शक्तियों के दुरूपयोग से बचने के लिए इन्हें चोटी स्तर के प्राधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

संस्तुति 14

रक्षा भूमि प्रबन्धन पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा इसे अधिक पेशेवराना बनाने के लिये तथा रक्षा भूमि के प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी विभिन्न एजेन्सियों के मध्य समन्वय की कमी की समस्या से पार पाने के लिये यह आवश्यक है कि समस्त रक्षा भूमि के प्रबन्धन हेतु एक एकल स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की जाये जिस पर समग्र उत्तरदायित्व हो । यह मानते हुए कि यह प्राधिकरण सभी सेनाओं तथा छावनी परिषद इत्यादि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेगा , इसका स्वरूप एक अन्तर्सेवा संगठन की तरह होना चाहिये जिसकी परिषद में सभी सेनाओं और रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व हो। प्राधिकरण को एक स्वायत्त निकाय की तरह कार्य करना चाहिये तथा अधिमान्य रूप से रक्षा मंत्री को इसका प्रमुख होना चाहिये । डी.जी.डी.ई. को इस प्राधिकरण के नियंत्रण में कार्य करना चाहिये । स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों तथा रक्षा सम्पदा कार्यालयों को किसी भी रूप में और तरीके से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सहित भूमि के निपटान हेतु प्रदत्त शक्तियों को वापस ले लिया जाना चाहिये तथा इन्हें रक्षा भूमि प्रबन्धन प्राधिकरण में निहित कर दिया जाना चाहिये ।

संस्तुति 15

रक्षा भूमि प्रबन्धन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ओल्ड ग्रान्ट स्थलों सहित रक्षा भूमि धारण का समस्त विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिये । अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, भवनों की किरायेदारी समाप्त करने आदि जैसे किसी भी लेन-देन को ऐसे लेन-देन के 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।